

हैसियत से बहुत अधिक होती है किंतु गंभीर बीमारी, दुर्घटना के समय मजबूरी में निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों की शरण में जाना ही पड़ता है।

निजी चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कार्य को पूर्णतः व्यवसाय बना लिया गया है। मरीजों का बिल बढ़ाने के लिए लम्बे समय तक उन्हें भर्ती रखा जाता है, विभिन्न क्लिनिकल परीक्षण किए जाते हैं, इसके उपरांत भी मरीज के जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं होती है और न ही मरीज की स्थिति के बारे में सही जानकारी दी जाती है। यहां तक देखा गया है कि यदि मरीज का स्वर्गवास हो जाता है और जब तक उसके परिजन अस्पताल का बिल जमा नहीं करा देते, तब तक लाश उनको नहीं दी जाती है। इस प्रकार का व्यवहार चिंता का विषय है।

ऐसी स्थिति में बीमार व्यक्ति को या तो अपनी संपत्ति बेच कर इलाज करवाना पड़ता है अथवा इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है।

अतएव मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश में कार्यरत निजी चिकित्सकों, चिकित्सा परीक्षणों एवं चिकित्सकों की फीस निर्धारित की जाए, जिससे गरीब एवं आम व्यक्तियों की मौत होने से बचाया जा सकता है।

**Need to establishing AIIMS/PCI, Chandigarh like institute
in Himachal Pradesh**

श्रीमती बिमला कश्यप सूद (हिमाचल प्रदेश) : मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि मैं पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से आती हूँ और यह हर्ष की बात है कि स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। वे पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संसाधन सीमित हैं। वहां पर कोई बड़ा (AIIMS) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा चण्डीगढ़ स्थिति PCI की भांति अस्पताल नहीं है और न ही कोई ट्रामा सेंटर है। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भी बहुत कमी रहती है। हिमाचल प्रदेश में 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना की वजह से मारे जाते हैं और लगभग 1500 लोग सड़क दुर्घटना की वजह से अपंग हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, इसलिए 12 ट्रामा सेंटर होने चाहिए, जो पूर्ण रूप से आधुनिक उपकरणों द्वारा सुसज्जित हों। जब कभी बस या कार 400, 500 फुट गहरी खाई में गिर जाती है तो पीड़ित लोगों को खाई से निकाल कर जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता है, तब तक आधे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, अतः पूर्ण रूप से आधुनिक उपकरणों द्वारा सुसज्जित एम्बुलेंस होनी चाहिए। जो विशेषज्ञ डाक्टर हैं, उनको विशेष भत्ता, बेहतर आवास व्यवस्था, जैसे प्रोत्साहन केंद्र सरकार को देने चाहिए। अतः मैं सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय से

मांग करती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़े अस्पताल, जो (AIIMS) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा चण्डीगढ़ स्थित (PGI) की तरह का अस्पताल हो, की अति आवश्यकता है, ताकि आम आदमी को उचित स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

Demand for ban on use of GM seeds in the country

डा. राम प्रकाश (हरियाणा) : महोदय, यूरो स्थित विश्व के 180 देशों में जी.एम. कृषि और उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। जी.एम. खेती का 75 प्रतिशत अमेरिका, कनाडा, ब्राजील व अर्जेंटीना में होता है। इन देशों में भी कपास, सोयाबीन, मक्का, बैनोला में ही जीन संवर्द्धन की अनुमति है। बीटी बैंगन के खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की अमेरिका और इंग्लैंड में अनुमति नहीं है। भारत में जी.एम. फसलों को परखने के लिए गठित जी.ई.ए.सी. ने अक्टूबर 2009 में बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती की अनुमति दे दी थी, जिस पर उत्पादकों, उपभोक्ताओं आदि के विरोध के कारण और अधिक अनुसंधान करवाने का पर्यावरण मंत्री तथा यूपीए सरकार का फैसला सराहनीय है। पर भिंडी, पत्तागोभी, टमाटर, धान आदि की व्यावसायिक खेती पर पर्यावरण मंत्रालय का यह फैसला लागू नहीं है। अभी ऐसे 41 खाद्य फसलों पर परीक्षण चल रहे हैं। जी.एम. बीज की अनुमति देने से पूर्व कम-से-कम 30 परीक्षण अनिवार्य हैं। जिन खाद्य फसलों की अनुमति दी गई है, उन पर पूरे परीक्षण नहीं किए गए। प्रायः सभी परीक्षण उत्पादक कम्पनियों या किसी सरकारी एजेंसी के हैं। उनकी independent testing नहीं हुई। बीटी बैंगन पर निर्णय केवल 90 दिन की स्टडी पर आधारित था और वह भी केवल 10 चूहों पर। इन खाद्य पदार्थों पर दीर्घकालीन अध्ययन नहीं किए गए। बीटी कॉटन का अनुभव भी सुखद नहीं है। जी.एम. खेती का आस-पास के खेतों में कुप्रभाव पड़ता है। बीज शुरु में अच्छी पैदावार देता है, लेकिन धीरे-धीरे उत्पादकता में कमी आ जाती है। तीन-चार साल के बाद खेत में ऐसे कीट पैदा हो जाते हैं, जिनके लिए अधिक शक्तिशाली रसायनों की जरूरत पड़ती है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जी.एम. बीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।

Demand for inquiry into irregularities in the Haj quota being committed by private Haj tour operators

श्री मोहम्मद अली खान (आन्ध्र प्रदेश) : सर, मैं आपके तवस्सुत से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ध्यान हज कोटा हासिल करने वाले प्राइवेट टूर-आपरेटर्स की धांधलियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान को सऊदी अरब सरकार ने 1,60,000 से ज्यादा हाजियों का कोटा अलॉट किया है, जिसमें से हज कमेटीयों के